कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विकास विभाग

कार्यालय – भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज

E-Mail ID- dscopalamu2019@gmail.com

वित्तीय वर्ष 2019–20 में छोटे एवं सीमांत कृषको तथा स्वयं सहायता समूहों/किसान क्लब को अनुदान पर पम्पसेट (1.5-3.0HP) एवं HDPE Pipe के वितरण हेतु सूचना।

पलामू जिले के कृषक भाईयों को सूचित किया जाता है कि मानसुन पर किसानों की निर्भरता को कम करने के लिए वर्ष 2019–20 में राज्य सरकार द्वारा कृषि कार्य को बढ़ावा देने, बहुफस्लीय कृषि के विकास एवं छोटे इकाई वाले क्षेत्रो के विकास के लिए सिंचाई की कमी को दूर करने के प्रयास के कम में संचित जल का उपयोग सिंचाई कार्य में करने हेतु पम्पसेट (1.5 – 3.0HP) एवं HDPE Pipe छोटे एवं सीमांत कृषकों/स्वयं सहायता समूहों/महिला सखी मंडल/कृषक समूह को 90 प्रतिशत अनुदान (अधिकतम रू0 25000) पर वितरण किया जाना है, जिसमें निम्नलिखित पात्रता एवं शर्तो के साथ आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है–

कार्य योजना	पात्रता	देय अनुदान की राशि
1	2	3
1. योजनान्तर्गत कृषक के मनरेगा कूप के आकार के अनुरूप प्रति कृषक 01 पम्प सेट (1.5-3.0HP) एवं HDPE Pipe (63mm-75mm) 200 फीट का वितरण 2. तालाब जिर्णोद्धार योजना एवं जलनिधि योजना के तहत निर्मित परकोलेशन टैंक के लाभान्वित पानी पंचायत के कृषक को 01 पम्प सेट (1.5-3.0HP) एवं HDPE Pipe (63mm-75mm) 200 फीट का वितरण किया जायेगा	**लघु एवं सीमान्त कृषक/स्वयं सहायता समूह/किसान क्लब हेतु** 1. ऐसे लाभुक कृषक जिन्हे मनरेगा द्वारा सिंचाई कूप मिला है तथा योजना पूर्ण एवं उपयोगी है। 2. भूमि संरक्षण विभाग द्वारा वित्तिय वर्ष 2015–16, 2016–17, 2017–18 एवं 2018–19 में तालाब जिर्णोद्धार योजना एवं जलनिधि योजना के तहत निर्मित परकोलेशन टैंक के लाभान्वित पानी पंचायत के कृषक योजनानतर्गत सुपात्र होगे। 3. इच्छुक एवं सुपात्र कृषक विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र के द्वारा वांछित एवं सच्ची सूचना अंकित करेगें एवं इस आश्य की घोषणा करेगें। 4. भरे हुए आवेदन पत्र पर संबंधित रोजगार सेवक/जन सेवक/पंचायत सेवक तथा त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि द्वारा अनुशंसा के पश्चात आवेदन संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा। 5. आवेदन पत्र जमा करने के पूर्व कृषक पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो लें कि उन्होने पूर्व में जिला कृषि पदाधिकारी/जिला उघान पदा0/आत्मा एवं भूमि संरक्षण कार्यालय डालटनगंज से अनुदान पर पम्पसेट एवं HDPE Pipe प्राप्त नही किया गया है इसकी घोषणा आवेदन पत्र में की जायेगी। इस आशय का नोटरी से शपथ पत्र आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।	अनुमानित औसत अनुदान–25,000.00 (पच्चीस हजार) रूपये प्रति कूप जो मनरेगा कूप के आकार के आधार पर परिवर्तशील है।

	6. आवेदन स्वीकृति के पश्चात भूमि संरक्षण निदेशालय द्वारा तय मानक के अनुरूप पम्पसेट एवं HDPE Pipe लाभूक के द्वारा क्रय किया जायेगा। 7. कृषकों के द्वारा पूर्व में 10 प्रतिशत राशि स्वयं वहन करना होगा इसके उपरान्त पम्प एवं पाईप का रसीद, आधार संख्या एवं बचत खाता की छायाप्रति के साथ अनुदान की राशि का दावा भूमि संरक्षण कार्यालय डालटनगंज से की जाएगी। जॉचोपरान्त अनुदान की राशि कृषक के बचत खाते में RTGS के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी । **या** बैंक ऋण के माध्यम से पम्प सेट एवं पाईप क्रय करने पर संवंधित बैंक को अनुदान की राशि हस्तांतरीत किया जायेगा । बैंक ऋण के मामले में कृषको द्वारा ऋण लिये जाने का प्रमाण पत्र संवंधित पदाधिकारी को उपलब्ध कराना होगा । **या** कृषको के लिखित अनुरोध पर कम्पनी के माध्यम से पम्प सेट एवं पाईप क्रय करने पर संवंधित कंपनी /कंपनी के अधिकृत विक्रेता के बैंक खाते में अनुदान की राशि हस्तांतरित किया जायेगा इसके लिए कृषको द्वारा लिखित अनुरोध भूमि संरक्षण पदाधिकारी डालटनगंज को उपलब्ध कराना होगा। 8. ऐसे स्वयं सहायता समूह जो निवंधित हो तथा कृषि कार्य से जुड़े हुए हो वे भी विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर जिला कृषि पदाधिकारी के माध्यम से अद्योहस्ताक्षरी को आवेदन जमा कर सकते है। 9. किसान क्लब के कृषक जो विहित प्रपत्र में आवेदन भर कर नाबार्ड के माध्यम से अनुशंसा प्राप्त कर अद्योहस्ताक्षरी को आवेदन जमा कर सकते है।	

आवेदन पत्र जमा करने हेतु आवश्यक निर्देशः-

(1) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/लघु/सीमान्त कृषक/महिला समूह का चयन प्राथमिकता के आधार पर किया जायेगा।

(2) आवेदन पत्र पर त्रिस्तरीय पंचायती राज के प्रतिनिधि का अनुशंसा अनिवार्य होगा।

(3) कृषक/समूह/संस्था द्वारा आवेदन पत्र विहित प्रपत्र में नियमानुसार सच्ची सूचना अंकित कर संबंधितों की अनुशंसा के पश्चात ही इस कार्यालय में जमा की जा सकेगी।

(4) आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार्य नही होगा।

(6) पूर्णरूपेण भरे हुए आवेदन पत्र संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 22.07.2019 को संध्या 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगें एवं प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के कार्यालय से जॉच के फलस्वरूप दिनांक 30.07.2019 तक अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा किया जायेगा।

(7) आवेदन पत्र इस कार्यालय एवं संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कार्यालय से निःशुल्क प्राप्त किये जा सकेंगे। आवेदन पत्र भूमि संरक्षण निदेशालय के वेवसाईट-**www.jharkjandsoil.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।

विशेष जानकारी के लिए अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय में सम्पर्क किया जा सकता है।

कार्यालय का पताः—कार्यालय भूमि संरक्षण पदाधिकारी, डालटनगंज ।
पलामू समाहरणालय, **BLOCK - C** के उपरी तल्ला
फोन नं0—06562—230223

25/6/19

भूमि संरक्षण पदाधिकारी,
डालटनगंज।

ज्ञापांक 123 / **मू0सं0 दिनांक** 25-06-2019 /

प्रतिलिपिः—(1) प्रभारी पदाधिकारी, सिंगल विन्डो सेन्टर, ... को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध करना है कि सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाय।

(2) सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पलामू जिला को सूचनार्थ प्रेषित। निर्देश दिया जाता है कि प्रखण्ड सूचना पट्ट/पंचायत सचिवालय सूचना पट्ट पर विज्ञापन को प्रदर्शित किया जाय। अपने क्षेत्रान्तर्गत सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों तथा जिला परिषद के सदस्यों को अपने स्तर से योजना से अवगत कराना सूनिश्चित करेगें।

(3) उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को सूचनार्थ समर्पित । भवदीय से आग्रह है कि जिला परिषद के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कराने की कृपा की जाय।

(4) अध्यक्ष जिला परिषद डालटनगंज को सूचनार्थ समर्पित ।

(5) जिला सूचना पदाधिकारी डालटनगंज को सूचनार्थ प्रेषित। आग्रह करना है कि District Portal पर Upload करने की कृपा की जाय।

(6) उपायुक्त महोदय, पलामू को सूचनार्थ समर्पित ।

25/6/19

भूमि संरक्षण पदाधिकारी,
डालटनगंज।